

प्रपत्र-व

भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 का धारा-33 एवं 43(1)

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 22(क) के अन्तर्गत

पत्रांक 624 / फा0न0.अ।2024

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, सारण, छपरा।

दिनांक 19/10/2024

सेवा में,

श्री. डी. पब्लिक स्कूल

बोरा, 413450, सारण

विषय :-

भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि -

(1) आपका भवन/परिसर में होस्टल तलघर एवं 10+3 मंजिल है।

(2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण आवश्यक है।

(3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(1) के अधिन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-22(क) के अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु 3 घंटे की नोटिस के पश्चात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अथवा अत्यावश्यक समझे जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस के किसी भी भवन अथवा परिसर में प्रवेश कर अग्नि अंकेक्षण करने हेतु शक्ति प्रदत्त है।

अतः उक्त प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत आपके भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण दिनांक-19/10/2024 को 10:30 बजे किया जाएगा। कृपया स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से अग्नि अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख के साथ उपस्थित रहेंगे।

विश्वासभाजन,

अग्नि 6411  
19-10-024